न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 161/2018

उनवान

महावीर प्रसाद पुत्र रामरतन जाति ब्राहमण नि0 देराठू, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कंचन पत्नी धरणीधर,
2. सत्यनारायण,
3. धर्मराज पि0 धरणीधर,
4. मुरलीधर,
5. गंगाधर,
6. लीलाधर,
7. रूकमा,
8. रामेश्वरी पि0 मादूदास जाति बैरागी नि0 लोहरवाडा, नसीराबाद,
9. सुरेशचन्द पुत्र रामरतन
10. राजेन्द्रकुमार,
11. मुकेशचन्द पि0 रामरतन,
12. लाली पत्नी महावीर,
13. शकुन्तला देवी पत्नी सुरेश
14. भगवतीदेवी पत्नी राजेन्द्र समस्त जाति ब्राहमण नि0 देराठू, नसीराबाद,
15. मैनेजर आई.सी.आई.सी. आई शाखा नसीराबाद,
16. राज0 सरकर जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन
9 से 14 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
16 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 5/8/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 2065/0.24, 2066/0.16, 2067/0.11, 2068/0.12 व 2069/0.14 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक़ व हिस्सा [illegible] विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे [illegible] दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण [illegible] मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्र[illegible] संख्या 1 से 14 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी ज[illegible] पेश नही करने के कार[illegible]

––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा वाद के खण्डन हेतु जवाब पेश नही किया गया। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल .खसरा नम्बर 2065/0.24, 2066/0.16, 2067/0.11, 2068/0.12 व 2069/0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:13 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

महावीर प्रसाद बनाम कंचन वगै.

दावा बावत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 161/2018
पेश करने की दिनांक — 20.12.18
बाद रिवीजन निस्तारण प्राप्त 14.06.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई अभिभाषक अभिषेक जैन, जितेन्द्र गुर्जर व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 2065/0.24, 2066/0.16, 2067/0.11, 2068/0.12 व 2069/0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद